परिशिष्ट

निम्नलिखित अधिकारियों की उनके नाम के आगे दर्शाए गए संस्थाओं में स्थानांतरित किया जाता है।

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	किस स्थान पर स्थानांतरित किया गया
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible] के स्थान पर
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible] के स्थान पर
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible] के रिक्त पद पर
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible] के रिक्त पद पर
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible] के स्थान पर
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible] के स्थान पर
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible] के स्थान पर
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible] के स्थान पर
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible] के स्थान पर
10.	[illegible]	[illegible]	[illegible] के स्थान पर

उपर्युक्त आदेश के क्रम 1 पर अंकित अधिकारी की स्थानांतरण स्थल के उपरांत पद पर अपने से वरिष्ठ किसी कर्मचारी का आदेश प्राप्त न होगा।

स्थानांतरित किये गये अधिकारियों को तुरंतिमुक्त से मुक्त किये जाने और अविलम्ब कार्यमुक्त करके उन्हें बिना जवाबदेही के सक्षम अधिकारी किये गये नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाये।

उपर्युक्त स्थानांतरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में माना जायेगा। स्थानांतरित अधिकारी का कोई प्रत्यावेदन अनुशंसित न किया जाय और यदि कोई अधिकारी इन आदेशों के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कार्य में अवरोध निवारण अधिनियम के नियम-3 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। स्थानांतरण आदेशों के अनुसार नये स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त अत्यावश्यक नियमों के संबंध में विचार कर कठोरतम कार्यवाही पर भी विचार किया जा सकता है।

([illegible])
[illegible]

[illegible] के लिए [illegible] अधिकारियों के,
[illegible], [illegible]।

संख्या [illegible] दिनांक [illegible], 1996

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उनकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] को
2- सम्बन्धित संस्था प्रधानों को इस आशय से कि सम्बन्धित कर्मचारी को तुरन्त कार्यमुक्त कर [illegible] के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
3- सम्बन्धित अधिकारी [illegible] : प्रधानाचार्य
4- [illegible] के लिए [illegible]